भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

वित्तीय सेवाएं विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1799

जिसका उत्तर सोमवार, 10 मार्च, 2025/19 फाल्गुन, 1946 (शक) को दिया गया

गैर-निष्पादनकारी आस्तियों के रूप में घोषित किए गए पीएसबी ऋण

1799. श्री सचिदानन्दम आर. :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 2014-2024 के दौरान अदानी समूह द्वारा गैर-निष्पादनकारी आस्तियों (एनपीए) के रूप में घोषित किए गए सरकारी क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) के ऋणों का ब्यौरा क्या है; और

(ख) वर्ष 2014-2024 के दौरान रिलायंस इंडस्ट्रीज द्वारा लिए गए और एनपीए के रूप में घोषित किए गए पीएसबी ऋणों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पंकज चौधरी)

(क) और (ख): भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने अवगत कराया है कि भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45ङ के अनुसार, आरबीआई को उधारकर्ता-वार ऋण सूचना प्रकट करने से रोका गया है। धारा 45ङ में यह प्रावधान किया गया है कि बैंक द्वारा प्रस्तुत ऋण संबंधी सूचना को गोपनीय माना जाता है और इसे प्रकाशित अथवा अन्यथा प्रकट नहीं किया जा सकता है।

सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की सकल गैर-निष्पादित आस्तियां (एनपीए) मार्च 2018 में 8,95,601 करोड़ रुपये (14.58% का सकल एनपीए अनुपात) के उच्च स्तर से घटकर दिसंबर 2024 (आरबीआई का अनंतिम डाटा) में 3,02,110 करोड़ रुपये (2.85% का सकल एनपीए अनुपात) हो गई हैं।

*****